Order Sheet (subsequent)

घींसीबाई बनाम गजेन्द्र सिंह वगै०

क्लेम प्रकरण संख्या : 98 / 2022

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
17.03.2026	अधिवक्ता प्रार्थिया श्री बनवारी मीणा उपस्थित। अप्रार्थी क्रम–2 के अधिवक्ता श्री असलम भारती व अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री मुरारीलाल अदलक्खा उपस्थित। अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में है। अधिवक्ता प्रार्थी क्रम–3 के प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.03.26 का लिखित जवाब अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा पेश किया, साथ ही फर्द के साथ मृतक के शेष वारिसान के आधार कार्ड की प्रतियां पेश की, नकल दिलाई गई। अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहना जाहिर किया गया। अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.03.2026 में पक्षकार बनाने चाहे गये व्यक्तियों के नाम बाबत् प्रार्थना–पत्र भी पेश किया। अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी पेश किया, नकल दिलाई गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना नहीं चाहता है। उक्त दोनों प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। संबंधित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का गंभीरतापूर्वक परिशीलन किया गया। अप्रार्थी क्रम–3 (बीमा कंपनी) की ओर से दिनांक 09.03.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान से प्रकट हुआ है कि मृतक के 3 पुत्र व एक पुत्री भी है, किन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, मृतक के पुत्र व पुत्रियां विधिक वारिसान की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की। आज प्रस्तुत नाम बाबत् प्रार्थना पत्र में मृतक के पुत्र–पुत्रियों के नाम क्रमशः अशोक, अमृतलाल, मुरलीधर एवं सुनीता होना दर्ज कराया गया है। प्रार्थिया ने उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में मृतक व प्रार्थिया के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने में कोई अनापत्ति नहीं की है। बहस में अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उक्त दोनों प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया है, जबकि प्रार्थिया की ओर तर्कों में मृतक व प्रार्थिया के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने में कोई अनापत्ति नहीं की है। प्रार्थिया ने उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में मृतक व प्रार्थिया	

के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने में कोई अनापत्ति नहीं की है। इनके नाम अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से अशोक, अमृतलाल, मुरलीधर एवं सुनीता बताये गये हैं, जिनके आधार कार्ड प्रार्थिया की ओर से भी प्रस्तुत किये गये है। उक्त व्यक्ति मृतक के पुत्र–पुत्री होने से प्रकरण के आवश्यक पक्षकार प्रकट होते हैं। अतः बीमा कंपनी की ओर से उक्त दोनों प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर मृतक के वारिसान अशोक, अमृतलाल, मुरलीधर एवं सुनीता को क्रमशः अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 के तौर पर जोड़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी पक्ष संशोधित शीर्षक व तलबाना–नोटिस पेश करें। जिस पर उक्त व्यक्तियों को जरिये नोटिस तलब किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से आज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी में अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत वाहन के परमिट व फिटनेस अप्रार्थी वाहन चालक स्वामी से तलब किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना–पत्र का अप्रार्थी सं.2 वाहन स्वामी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अपने तर्कों में उक्त प्रार्थना पत्र को दोहराया गया है, जबकि अप्रार्थी सं.2 वाहन स्वामी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में आइंदा पेशी पर उक्त दस्तावेज पेश करना चाहना अभिव्यक्त किया गया है।

अप्रार्थी सं.3 बीमा कंपनी की ओर से अप्रार्थी सं.2 वाहन स्वामी से उक्त प्रार्थनापत्र में तलब कराना चाहे गये दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये सुसंगत है, जो दस्तावेज अप्रार्थी सं. 2 वाहन स्वामी के पास ही हो सकते है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से आज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 वाहन स्वामी को हस्तगत वाहन के परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र पेश किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध न्यायोचित उपधारणा की जा सकेगी।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक व तलबी अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 व पेश होने दस्तावेज दिनांक 24.03.2026 को पेश हो।

17.3.26

सत्यनारायण टेलर
न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, बारां (राज.)